



उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र लखनऊ

8वाँ तल, टावर-4, पुलिस मुख्यालय, अमर शहीद पथ, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ 226002

e-mail : tshq@up.nic.in

पत्रसंख्या: टीएससी-02/2021

दिनांक: मार्च, 01, 2021

सेवा में,

1-पुलिस आयुक्त,
जनपद लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर।

2-समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

विषय: कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-'ए' के कर्मचारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में विभागीय स्थानान्तरण नीति विषयक।

कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए के कार्यकाल के सम्बन्ध में मानक निर्धारण:

1. कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए के कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त प्रथमतः नियुक्ति विभागीय आवश्यकता के अनुसार जनपद में की जायेगी, जिसकी न्यूनतम अवधि 03 वर्ष होगी। इसके पूर्व स्थानान्तरण हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
2. कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड- ए का स्थानान्तरण गृह जनपद व सीमावर्ती जनपदों में नहीं किया जायेगा।
3. कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड- ए की जनपद में नियुक्ति अवधि अधिकतम 10 वर्ष की होगी। एक जनपद में अधिकतम नियुक्ति अवधि पूर्ण होने की दशा में सम्बन्धित रेंज / जोन में यथासम्भव स्थानान्तरण किया जायेगा।

वार्षिक स्थानान्तरण की नीति:

- क- प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यकतानुसार जनपदों / इकाइयों से प्रत्येक वर्ष में एक बार ही ग्रीष्मकालीन स्थानान्तरण सत्र में स्थानान्तरण किये जायेंगे।
- ख- निर्धारित समयावधि पूर्ण करने वाले समस्त कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए के स्थानान्तरण किये जायेंगे।
- ग- इस सम्बन्ध में इच्छुक कर्मियों से प्रार्थना पत्र प्राप्त करके कार्यवाही की जायेगी जिसमें 03 विकल्प मांगे जायेंगे। नियुक्ति के लिये यथा सम्भव व्यावहारिकता के दृष्टिगत तदनुसार स्थानान्तरण किये जायेंगे परन्तु यह वाध्यकारी नहीं होगा।

प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण:

- क- ऐसे कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए जिनका स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर किया जाना अनिवार्य ही हो, के सम्बन्ध में तथ्यों पर गहनता से विचार करते हुए जनपद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, इकाई के प्रभारी अधिकारी की स्पष्ट संस्तुति के आधार पर प्रशासनिक दृष्टि से स्थानान्तरण किया जाना आवश्यक होगा, इस श्रेणी में स्थानान्तरण, रिपोर्ट के आधार पर वर्ष में कभी भी किये जायेंगे।


अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण की नीति:

अनुकम्पा के आधार पर निम्न परिस्थितियों में स्थानान्तरण किए जाने पर विचार किया जायेगा:-

- 1- यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हों, तो उनके स्थानान्तरण हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों के आधार पर।
- 2- दो कम्प्यूटर आपरेटरों ग्रेड-ए द्वारा पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों के आधार पर।
- 3- स्वयं / पति-पत्नी/ बच्चों की गम्भीर बीमारी के दृष्टिगत मुख्य चिकित्साधिकारी की सलाह के अनुसार।
- 4- अन्य विशिष्ट कारणों से विभागाध्यक्ष की अनुमति से।

सम्बन्धित जनपद में नियुक्त प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के माध्यम से स्पष्ट संस्तुति के आधार पर प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों पर नियतन/उपलब्धता/रिक्ति को दृष्टिगत रखते हुए स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा। कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-'ए' द्वारा उचित माध्यम के अतिरिक्त प्रेषित आवेदन-पत्रों पर कोई विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।

अतः उपरोक्त निर्देशों से समस्त कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-'ए' को अवगत करा दिया जाय तथा उनके स्थानान्तरण सम्बन्धी आवेदन-पत्र ग्रीष्मकालीन स्थानान्तरण हेतु मांगे जाने पर अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित इस मुख्यालय को भेजें।


(संदीप सालुंके) 01/03/2021

अपर पुलिस महानिदेशक,
तकनीकी सेवाएँ, 30प्र0,
लखनऊ।

प्रतिलिपि:- अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, समस्त जोन/समस्त परिक्षेत्र को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु।